जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति	दिनांक 10.11.2023

थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ व नगदी बरामदः-

आज दिनांक 10.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब निर्माण/बिक्री/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्ता को अवैध 10 ग्राम स्मैक व स्मैक की बिक्री से प्राप्त 21,220/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

रेशमा पत्नी फुरकान निवासी मौ0 आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जिला शामली

बरामदगी का विवरणः-

1-अवैध 10 ग्राम स्मैक।

2-स्मैक बिक्री से प्राप्त 21,220/- रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.म0उ0नि0 शिल्पी चौधरी थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.म0का0 रिशा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से घटना में प्रयुक्त फरसा बरामदः-

आज दिनांक 09.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त फरसा बरामद किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.11.2023 को वादी श्री शराफत पुत्र मूदा निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसके भाई के साथ 04 अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला कर गम्भीर रुप से घायल करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-सुऐब पुत्र जाकिर निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विरवणः-

1. घटना में प्रयुक्त फावडा़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 दलबीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 10.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग के दौरान 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनाँक 06.11.2023 को वादी श्री आरिज खान पुत्र मौहम्मद बाबूखान निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली ने अपनी मोटर साइकिल स्प्लैण्डर प्रो रजि0नं0- UP12Y5595 रंग काला को पूसवाली मस्जिद कांधला बाईपास के पास से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 05.11.2023 को मैने यह मोटरसाइकिल स्पेलण्डर प्रो रंग काला रजि0 न0 UP12Y5595 पूसवाली मस्जिद कांधला बाईपास के पास से चोरी की थी और आज मैं इसको बेचने जा रहा था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.वादिल पुत्र हासिम निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर प्रो रजि0नं0- UP12Y5595 रंग काला रंग काला।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1-मु0अ0स0 563/23 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 560/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 मोतीलाल थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 अंकुर चौधरी थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 1997 में अभियुक्त शराफत पुत्र आशक अली निवासी ग्राम इस्लामपुर भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 07/1997 धारा 25 आयुध अधिनियम में थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.11.2023 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त शराफत उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1. शराफत पुत्र आशक अली निवासी ग्राम इस्लामपुर भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली।